न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रकरण संख्याः–121/2004,(जी.सी.एम.एस.न. 2004/00021)

पीठासीन अधिकारी :– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. अर्जुन
2. जग्गो उर्फ जगदीशचन्द
3. मान सिंह
4. रम्मन उर्फ रमन

} पुत्रगण किशन जाति गुर्जर नि0 ग्राम इकलहरा तहसील डीग

5. गुल्ले पुत्र किशन जाति गुर्जर नि0 ग्राम इकलहरा तहसील व जिला डीग–मृतक

5/1. वती उर्फ रामवती पत्नी स्व. श्री गुल्ले
5/2. सोनू पुत्र स्व. श्री गुल्ले
5/3. विशम्भर पुत्र स्व. श्री गुल्ले

} जातियान गुर्जर नि0 इकलहरा तहसील व जिला डीग

–वादीगण

बनाम

1. सालिगराम पुत्र वोदन जाति पालीवाल ब्राह्मण नि0 कस्बा डीग तहसील व जिला डीग –मृतक

1/1. लक्ष्मीकांत पुत्र स्व0 श्री सालिगराम जाति पालीवाल ब्राह्मण नि0 कस्बा डीग तह0डीग –मृतक

1/1/1. अन्नू पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीकांत
1/1/2. पुनीत पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीकांत
1/1/3. राधे पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीकांत
1/1/4. पिंकी पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मीकांत पत्नी दिनेशचन्द

} जातियान पालीवाल ब्राह्मण नि0 कस्बा डीग

1/2. मूलचन्द पुत्र स्व0 श्री सालिगराम जाति पालीवाल ब्राह्मण नि0 कस्बा डीग

2. तहसीलदार तहसील डीग
3. पंजाब नैशनल बैंक शाखा डीग जरिये प्रबंधक

–प्रति0

दावा कायमी काश्त खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 03.12.2024

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 141/0.24, वाके ग्राम कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग में स्थित है। आराजी मुत0 खसरा नम्बर 141/0.24 वाके ग्राम कस्बा डीग प्रथम में साविक खसरा नम्बर 230 से बना है। जिसे वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 09.04.1981 प्रति0 संख्या 01 सालिगराम पुत्र वोदन व प्रतिवादी संख्या 01 के बडे भाई गिर्राज पुत्र वोदन सिंह ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया था। वादीगण ने प्रति0 से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से चार खसरा नम्बर खरीदे थे जिनमें साविक आराजी खसरा नम्बर 230,तीन वीघा तीन विस्वा,खसरा नम्बर 242 तीन वीघा 2

उपखण्ड अधिकारी
डीग (कैम्प) राज.

Scanned with OKEN Scanner

विस्वा, खसरा नम्बर 243, 2वीघा 13 विस्वा व 244, 1 वीघा 14 विस्वा खरीदा था। जिनका वक्त बयनामा से प्रति0 संख्या 01 व प्रति0 संख्या 01के बडे भाई गिर्राज ने जो अब लावल्द विला औरत फौत हो गया है। वक्त वयनामा कब्जा वादीगण को दे दिया था और वादीगण वक्त वयनामा से आज तक उक्त खसरा नम्बरों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सैटिलमेंट विभाग ने पुराने नम्बरों से नये नम्बर बनाते समय साविक खसरा नम्बर 230 से बने है। हाल आराजी खसरा नम्बर 141/0.24 को प्रति0 नम्बर 01सालिगराम व वडे भाई गिर्राज प्रसाद के नाम दर्ज कर दिया है। जबकि हाल आराजी खसरा नम्बर 141/0.24 को 16 ऐयर रकबा साविक आराजी खसरा नम्बर 230 व 8 ऐयर रकबा साविक आराजी खसरा नम्बर 242 से लेकर बनाया गया है जो वादी ने रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद किये थे। वादीगण ने प्रति0 नम्बर 01 व उसके भाई गिर्राज से जो साविक नम्बर जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किये गये थे उनसे सैटिलमेंट विभाग ने नये नम्बर बनाते समय हाल आराजी खसरा नम्बरान 136/0.22, 137/0.20, 138/0.36, 141/0.24, 142/0.42, 163/0.30 पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है,लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रति0 संख्या 01 व उसके भाई गिर्राज के नाम दर्ज कर रखा है। जिसे कलमजन करांया जाकर वादीगण अपने आपको आराजी खसरा नम्बर 141/0.24 पर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने के अधिकारी है।

अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 141/0.24 वाके ग्राम कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए प्रति0 संख्या 01 व उसके मृतक भाई गिर्राज के नाम को कलमजन किया जावे तथा वर्णित आराजी खसरा नम्बर 141/0.24 से वादीगणों की काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं किये जाने हेतु प्रति0 को पावंद फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 संख्या 01 की ओर से दिनांक 13.07.2004 को अधिवक्ता उपस्थित। प्रति0 संख्या 03 बैंक बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए दिनांक 03.09.2004 को प्रति0 संख्या 03 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति0 संख्या 01का जबाव दिनांक 24.03.2005 को पेश किया गया। प्रति0 संख्या 01 के फोत होने पर प्रार्थना पत्र फौती दिनांक 22.07.2010 को पेश किया गया। जिसे दिनांक 11.03.2016 को स्वीकार किया गया।संशोधित शीर्षक दिनांक 16.03.2017 को पेश किया गया। दिनांक 30.05.2018 को प्रति0 संख्या 1/1,1/2 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 08.04.2021 को जबाव प्रति बंद किया जाकर दावे को साक्ष्य हेतु नियत किया गया। दिनांक 16.01.2023 को श्री वेदप्रकाश शर्मा अधिवक्ता द्वारा वादीगण की ओर से अपना वकालतनामा पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा.दी. पेश किया गया। दिनांक 02.05.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. प्रस्तुति दिनांक 16.01.2023 पर सुना जाकर स्वीकार किया गया। संशोधित शीर्षक दिनांक 21.05.2024 को पेश किया गया। साक्ष्यवादी में रम्मन पुत्र किशन व रामजीत पुत्र रोशन के शपथ पत्र पेश किये गये। PW-1 व PW-2 में रम्मन पुत्र किशन व रामजीत पुत्र रोशन के बयान दर्ज कराये गये। दिनांक 25.07.2024 को साक्ष्य वादी पूर्ण की जाकर प्रकरण को बहस हेतु रखा गया। दिनांक 28.08.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी.पेश किया गया जिसे स्वीकार किया गया तथा संशोधित शीर्षक पेश किया गया। प्रति0 संख्या 1/1/1 लगायत 1/1/4 व 1/2 की ओर से श्री राजेश गुप्ता अधिवक्ता द्वारा अपना वकालतनामा पेश किया गया। साथ ही उभय पक्ष की ओर से **राजीनामा** पेश किया गया। राजीनामा में वर्णित किया गया है कि हम पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। जिसमें आराजी खसरा नम्बर 141/0.24 वाके ग्राम कस्बा डीग प्रथम में जो

उपखण्ड अधिकारी
डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

साविक खसरा नम्बर 230 से बनाया है। जिसे वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 09.04.1981 को प्रति0 संख्या 01 सालिगराम पुत्र वोदन व प्रति0 संख्या 01 सालिगराम के बडे भाई गिर्राज पुत्र वोदन जो हम प्रति0 के बाबा सालिगराम व गिर्राज के नाम गलत दर्ज कर दिया गया था जिससे हम प्रति0 का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 141 पर वादीगण का वक्त खरीद से ही कब्जा काश्त है और आज भी वादीगण का ही कब्जा काश्त है। हम प्रति0 की कोई कब्जा काश्त नहीं है और ना ही भविष्य में रहेगा हमारे बाबा सालिगराम व हमारे बाबा सालिगराम के भाई गिर्राज का ना म जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहा है उसे कलमजन कर वादीगण के नाम वाहिस्सा बरावर दर्ज किये जाने में हम प्रति0 को कोई ऐतराज व आपत्ति नहीं है।

प्रति0 की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने व प्रति0 के द्वारा राजीनामा पेश किये जाने से वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वादी बकील ने दावे में वर्णित तथ्य तथा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर दावा वादीगण को स्वीकार कर डिक्री किये जाने का अनुरोध किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड,प्रदर्श 1 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.04.1981 की मूल प्रति जिसमें गिर्राज व सालिगराम पिस0 बोदन जाति ब्राह्मण नि0 कस्बा डीग ने आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 3 वीघा 3 विस्वा, 242 रकबा 3 वीघा 2 विस्वा, 243 रकबा 2 वीघा 10 विस्वा, 244 रकबा 1वीघा 14 विस्वा भूमि को अर्जुन व जग्गो व मान सिंह व रम्मन व गुल्ले पिस0 किशन जाति गूजर नि0 ग्राम इकलहरा तहसील डीग को विक्रय किया है। प्रदर्श 2 भू–प्रबंध विभाग मिलान क्षत्रफल सम्बत 2041 जिसमें हाल खसरा नम्बर 141 रकबा 0.24 साविक खसरा नम्बर 230 मिन से बना है। गवाह पीडब्ल्यू–1 रम्मन पुत्र किंशन,पीडब्ल्यू–2 रामजीत पुत्र रोशन कराये गये।

उभय पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीनाम दिनांक 28.08.2024 पर वकील वादी की बहस पर मनन किया। दावा वादी राजीनामे के आधार पर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। मुताविक राजीनामा आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 0.24 हैक्टेयर वाके ग्राम कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति0 के नाम चल रहे इन्द्राजात को कलमजन किये जाने तथा प्रति0 को जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पावंद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

Scanned with OKEN Scanner